न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर जिला अजमेर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2013

उनवान

1. श्रीमती प्रेमकंवर धर्मपत्नी श्री महेन्द्र सिंह
2. श्रीमती सुशीला कंवर धर्मपत्नी श्री नरेन्द्र सिह

समस्त जाति राजपूत निवासी अरडका तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री संग्राम सिह पुत्र श्री मांगूसिह जाति राजपूत निवासी अरडका तहसील व जिला अजमेर
2. श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री मांगूसिह जाति राजपूत निवासी अरडका तहसील व जिला अजमेर
3. श्रीमति शांतिदेवी पुत्री श्री मांगीलाल
4. श्रीमती कमजा पुत्री श्री मागंलील
   जाति सुनार निवासी अरडका तहसील व जिला अजमेर
5. चांद मोहम्मद पुत्र नसीर खां जाति देशवाली मुसलमान निवासी ग्राम अरडका तहसील व जिला अजमेर
6. मनवर खां पुत्र नसीर खां ग्राम अरडका तहसील व जिला अजमेर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 14.10.2019

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजीयात ग्राम अरडका तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है जिसका खाता संख्या 72 खसरा नम्बर 155 रकबा 0.09 किस्म बा0 3 खसरा नम्बर 156 रकबा 0.48 किस्म पे.ता., खसरा नम्बर 157 रकबा 0.30 किस्म बा0 3, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.22 किस्म बा0 3, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.04

Scanned by CamScanner

किस्म पे.ता, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.22 किस्म पे.ता., खसरा नम्बर 167 रकवा 0. 80 किस्म पे.ता., खसरा नम्बर 164/2174 रकबा 0.17 किस्म पे.ता, खसरा नम्बर 163 163/2203 रकबा 0.07 किस्म पे.ता., खसरा नम्बर 203/2204 रकबा 0.09 किस्म पे.ता. खसरा नम्बर 204/2430 रकबा 0.10 किस्म पे.ता कुल किता 11 कुल रकबा 2.58 हैक्टर व खाता संख्या 164 खसरा नम्बर 161 रकबा 0.86 किस्म बा0 3 खसरा नम्बर 164 रकबा 0.80 किस्म पे.ता. खसरा नम्बर 165 रकबा 0.35 किस्म पे. ता. खसरानम्बर 168 रकबा 0.22 किस्म पे.ता. कुल किता 4 कुल रकबा 2.23 हैक्टर है । प्रार्थीगण को उक्त वर्णित आराजियात यथा खसरा नम्बर 156, 164/2174, 166 व 167 के लगते हुए पूर्वी दिशा में तालाब की पाल अवस्थित है तथा उक्त पाल के पूर्व दिशा में खेत खसरा नम्बर 226, 225, 224, 798, 805, 803, 807 व 816 के दक्षिण दिशा में लगते हुए एवं खसरा नम्बर 222, 216, 215, 872, 871, 870, 863, 862 व 861 के लगते हुए उत्तर दिशा में रास्ता अवस्थित है। उक्त रास्ता पूर्व दिशा में अवस्थित ग्राम अरडका से उक्त खेतो के मध्य में होते हुए तालाब की पाल तक आता है और प्रार्थीगण एवं अन्य सभी खातेदारान के लिए अरडका से खेतों पर आने जाने के लिए यह मुख्य रास्ता है। प्रार्थीगण भी अपने खेतों पर इसी मार्ग से आती है। उक्त वर्णित रास्ता पूर्व दिशा में अवस्थित ग्राम अरडका से पश्चिम की ओर तालाब की पाल तक आता है उक्त रास्ता खसरा नम्बर 806 एवं 223 सिवायचक गेर मुमकिन रास्ता अधिकार अभिलेख में दर्ज है। लेकिन खेत खसरानम्बर 225 एवं 226 की दक्षिणी सीमा से लगते हुए उक्त रास्ते की भूमि के खसरा नम्बर 223/2261 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मु. रास्ता दर्ज है जो अप्रार्थीण संख्या 1 लगायत 2 तथा 5 लगायत 6 के नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज है एवं खसरा नम्बर 2532/2261 रकबा 0.03 हैक्टर गैर मु. रास्ता दर्ज है जो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 प्रार्थीगण को उक्त रास्ता खसरा नम्बर 223/2261 रकबा 0.01 हैक्टर एवं 2532/2261 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गे.मु. रास्ता से आने जाने में अवरोध करने पर सख्त आमादा है तथा उक्त रास्ते से आने जाने में अप्रार्थीगण ने झगडा करना प्रारम्भ कर दिया है । जिससे उक्त रास्ता भूमि खसरा नम्बर 223/2261 एवं 2532/2261 कुल रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता की डी.एी.सी दर के अनुसार कीमत प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 को प्रदान

Scanned by CamScanner

करने हेतु तत्पर है जो अप्रार्थीगण को दिलवाई जाकर उक्त रास्ता खसरा नम्बर 223/2261 रकबा 0.01 हैक्टर एवं 2532/2266 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता अधिकार अभिलेख में सिवायचक गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाकर प्रार्थीगण के आने जाने में अवरोध उत्पन्न करने से अप्रार्थीगण को सदा सर्वदा के लिए पावन्द फरमाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रास्ता भूमि खसरा नम्बर 223/2261 रकबा 0.01 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 2532/2261 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता की डी.एल.सी दर के अनुसार प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 को कीमत दिलवाई जाकर उक्त रास्ते को अधिकार अभिलेख में सिवायचक गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 3 से 6 नोटिस तामिल बावजूद गेर हाजिर । अप्रार्थी संख्या 3 से 6 गेर हाजिर होने से दिनांक 14.10.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 दिनांक 23.7.2019 को उपस्थित आये निरन्तर गेर हाजिर होने से दिनांक 14.10.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपने जवाब में अकित तत्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 156, 164/2174, 166 एवं 167 के लगते हुए पूर्वी दिशा में तालाब की पाल अवस्थित है तथा उक्त पाल के पूर्व दिशा में खेत खसरा नम्बर 226, 225, 224, 798, 805, 803, 807, 816 के दक्षिण दिशा में लगते हुए एवं खसरा नम्बर 222, 216, 215, 872, 871, 870, 863, 862, व 861 के लगते हुए उत्तर दिशा में रास्ता अवस्थित है उक्त रास्ता पूर्व दिशा में अवस्थित ग्राम अरडका से उक्त खोतो के मध्य में होते हुए तालाब की पाल तक आता हो दर्शाय कथन सरासर गलत होने से अस्वीकार है तथा यही मुख्य रास्ता हो एवं प्रार्थीगण भी अपने खेतो पर इसी मार्ग से आती हो दर्शाये कथन भी पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। वर्तमान खसरा नम्बर 224 के दक्षिण दिशा की और खसरा नम्बर 223 की भूमि जो कि अप्रार्थी सांख्या एक की निजी रास्ते की भूमि है जो कि खसरा नम्बर हाल 224 तक की सीमा तक ही है जो कि अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 224 व 225 एवं 226 एवं अन्य खेतो में

Scanned by CamScanner

आने जाने का अप्रार्थी संख्या एक का निजी रास्ता है। वर्किंग खसरा नम्बर 1370 का हाल खसरा नम्बर 224 बना है कि जिसके अनुसार राजस्व नक्शा सन्1970–71 के अनुसार भी वर्किंग खसरा नम्बर 1370 के दक्षिण दिशा में जो कि वर्किंग खसरा नम्बर 1370 की सीमा तक ही रास्ता है कि इसके आगे वर्किंग खसरा नम्बर 1370 तक ही रास्ता है जो कि अप्रार्थी संख्या एक का निजी रास्ता है तथा वर्किंग खसरा नम्बर 1369 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 223/2261 मिल एवं खसरा नम्बर 225 तथा वर्किंग खसरा नम्बर 1368 के हाल आधार खसरा नम्बर 226, 227 एवं 223/2261 मिन बने है जबकि वर्किंग खसरा नम्बर 1369 व 1368 की भूमि पर कोई रास्ता ही नही है एवं न ही रास्ता पाल से टच करता हो इस प्रकार तथाकथित रास्ता ही नही है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा दर्शायी गई भूमि जो कि पेटा तालाबी भूमि है तथा इस भूमि पर आवागन के मौके के अनुसार पांच रास्ते है कि जिसमें से पहला रास्ता जो कि गउ शाला से हाता हुआ तालाब की पाल से, गोचर भूमि से हाता हुआ तालाब पेटे की भूमि में आवागमन का रास्ता है जो कि खसरा नम्बर हाल 795 रास्ताि है जो कि खसरा नम्बर 230/2287 से होता हुआ पाल की भूमि से घुमकर गोचर भूमि से हाता हुआ आवागमन का रास्ता पूर्व से ही प्रार्थीगण के पास है। प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु एक अन्य दूसरा रास्ता अरडका से बाघपुरा डामर रोड से लिंक ग्रेवल (ककरीट) रोड खसरा नम्बर 184/514 से होता हुआ खसरा नम्बर 186/513 से आगे 189/539 से हाता हुआ प्रार्थीगण के खेतो में आवागमन का रास्ताि है। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु एक अन्य तीसरा रास्ता बाघपुरा गांव से होता हुआ रास्ता जो कि सरकार भूमि से होता हुआ आवागमन का रास्ता तो कि प्रार्थीगण के उक्त खेतो में आने जाने का आवागमन का रास्ता पूर्व से ही है। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु एक अन्य चोथा रास्ता लिंक रोड बाधपुरा से डाडोलाई तालाब से खसरा नम्बर 202 जो कि रास्ता है से होता हुआ प्रार्थीगण के खेतो पर आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता है। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु एक अन्य पांचवा रास्ता जो कि बाधपुरा डाडोलाई तालाब से लिंक रोड खसरा नम्बर 168 रास्ता है कि भूमि से होता हुआ प्रार्थीगण के उक्त खेता पर आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता है। इस प्रकार पांच रास्ते जो कि पूर्व से ही है। ग्राम अरडका से पश्चिम की और तालाब की पाल तक आता हो पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है आवेदनकर्त्ता के पास पूर्व से ही पांच रास्ते है। खसरा नम्बर 223/2261 एवं

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 2532/2261 की भूमि गै.मु. रास्ता होना दर्शाया गथन गलत होने से अस्वीकार है जबकि यह भूमि अप्रार्थीगण संख्या एक की खातेदारी की एवं खेती की कृषि भूमि है तथा मौके पर कोई रास्ता नही है जबकि वर्किंग खसरा नम्बर 1368 रकबा 8–15–10 किस्म बारानी दो एवं 1369 रकबा 10–18–10 किस्म बारानी दो है जिस पर कोई रास्ता नही है जबकि वर्तमान जमाबंदी में भू–प्रबन्ध विभाग अजमेर द्वारा उनके अधिकार के परे गै.मु. रास्ता गलत दर्ज किया गया जबकि रास्ता नही है बल्कि अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी की कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा वर्तमान राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती की कार्यवाही अलग से की जा रही है जिनके हाल खसरा नम्बर 223/2261 एवं 2532/2261 बने है। आवेदन पत्र के पैरा संख्या दो में दर्शाये तथाकथित कोई रास्ते नही है बल्कि अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी की कृषि भूमि है जबकि आवेदन पत्र के पेरा संख्या दो में दर्शाये अनुसार प्रार्थीगण के उक्त खेतो में आवगमन हेतु ट्रेक्टर बेलगाडी रास्ता पूर्व से ही पांच रास्ते चले आये है इस कारण आवेदनकर्तागण को इस प्रकार का आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई अधिकार ही नही है। अत5 प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र मय खर्चे खारिज फरमावे ।

राजकीय पेरोकार ने उपस्थित होकर दौराने बहस निवेदन किया गया तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 22.6.2016 में प्रार्थीगण द्वारा अपनी भमि में आने जाने हेतु ग्राम अरडका के खसरा नम्बर 205 किस्म पाल से होकर अप्रार्थीगण 1 से 6 की भूमि में से रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया गया जो उचित नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का कथन है कि उसकी होल्डिग खसरा नम्बर 155, 156, 157, 158, 163, 166, 167, 164/2174, 163/2203, 203/2204, 204/2430, 161, 164, 165, 168 में जाने के लिए रास्ता भूमि अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 223/2261 व 2532/2261 से होकर मार्ग बनाना चाहता है तथा उसके आने जाने के लिए अन्य कोई वेकल्पिक मार्ग नही है इस कारण खसरा नम्बर 223/2261 व 2532/2261 में से मार्ग उपलब्ध कराया जावे तहसीलदार द्वारा दी गई रिपोर्ट दिनांक 22.06.2016 में तहसीलदार अजमेर द्वारा अंकित किया कि ग्राम उटडा के खसरा

Scanned by CamScanner

नम्बर 502 किस्म पाल से होकर अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता दिये जाने का निवेदन किया गया जो उचित नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। राजस्व नक्शा 1971–72 में खसरा नम्बर 1376 व 1370 के लगता हुआ दक्षिण की तरफ रास्ता अंकित है परन्तु यह रास्ता राजस्व मानचित्र 1368–69 में अंकित नही है 1368–1369 के आगे सरकारी पाल है इसी प्रकार वर्तमान राजस्व मानचित्र 1983–84 में खसरा नम्बर 227/2166 के बाद खसरा नम्बर 505 पाल है उसके पश्चात प्रार्थीगण के खेत नक्शे में अंकित कर रखे है। हल्का पटवारी, आई.एल.आर तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 15.12.2016 को भिजवाई गई के सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया यह रिपोर्ट पूर्व में तहसीलदार अजमेर द्वारा के जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 22.6.2016 प्रस्तुत किया के विपरित है। इस कारण स्वीकार योग्य नही है दिनांक 22.6.2016 के जबाब तहसीलदार अजमेर द्वारा स्पष्ट कथन किया कि पाल में से रास्ता दिया जाना उचित नही है। अतः प्राथीयॉगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज योग्य प्रतित होता है ।

अतः परिणामातः उपरोक्त विवेचचन विषलेषण अनुसार प्रार्थीयॉगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए सारहीन भारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ0 आर्तिका शुक्ला)

आई.ए.एस

उपखण्ड अधिकारी

अजमेर

Scanned by CamScanner